न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 15/2021

प्रार्थीगण:–

1. कुसुमलता पत्नी पूनमचन्द रामदेव जाति पुष्करणा ब्राह्मण निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर
2. चुकीदेवी पत्नी सुमेरमलजी नेताणी जाति ओसवाल निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बाडमेर
3. मंजूदेवी पत्नी हीराचन्द जाति ओसवाल निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बाडमेर
4. रिकूंदेवी पत्नी कपिलकुमार कवाड जाति ओसवाल निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बाडमेर
5. लीलादेवी पत्नी पुखराजजी नेताणी जाति ओसवाल निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बाडमेर
6. शकुन्तला देवी पत्नी मोहनलालजी ललवानी जाति ओसवाल निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. खीमाराम पुत्र सूजाराम जाति राईका निवासी सिवाना
2. कानाराम पुत्र हमीराराम जाति राईका निवासी सिवाना
3. सवाराम पुत्र हमीराराम जाति राईका निवासी सिवाना
4. भंवरलाल पुत्र सूजाराम जाति राईका निवासी सिवाना
5. राणाराम पुत्र सूजाराम जाति राईका निवासी सिवाना
6. घेवाराम पुत्र लालू जाति राईका निवासी सिवाना
7. सांगाराम पुत्र लालू जाति राईका निवासी सिवाना
8. लेरो पत्नी लालू जाति राईका निवासी सिवाना
9. नारायणराम पुत्र लालू जाति राईका निवासी सिवाना
10. पेमाराम पुत्र अर्जुनराम जाति राईका निवासी सिवाना
11. मांगीलाल पुत्र अर्जुनराम जाति राईका निवासी सिवाना
12. सवाराम पुत्र भुराराम जाति राईका निवासी सिवाना
13. पेमाराम पुत्र उदाराम जाति राईका निवासी सिवाना
14. हीरराम पुत्र उदाराम जाति राईका निवासी सिवाना
15. कलावती माथुर पत्नी [illegible] माथुर जाति माथुर निवासी सिवाना
16. रूकमादेवी पत्नी प्रभूराम जाति रबारी निवासी सिवाना
17. रामाराम पुत्र भलाराम जाति रबारी निवासी सिवाना
18. राणाराम पुत्र भलाराम जाति रबारी निवासी सिवाना
19. कंकुदेवी पत्नी भलाराम जाति रबारी निवासी सिवाना
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.02 18:12:32 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः–

1. श्री पूनमचन्द रामदेव
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :–16.07.2021

प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री पूनमचचन्द रामदेव ने अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईयश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071 –2074 सरहद मौजा सिवाना पटवार मण्डल सिवाना तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 2179/296 रकबा 0.7117 हैक्टयर भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा सिवाना पटवार मण्डल सिवाना तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 2179/296 रकबा 0.7117 हैक्टयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16.07.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.02 18:12:32 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)